

राजस्थान सरकार

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी करेड़ा, जिला- भीलवाड़ा

:: आदेश ::

प्रार्थी के "खाता दुरुस्ती" प्रार्थना पत्र एवं पटवारी व (अभाठा) भू अभिलेख निरीक्षक करेड़ा की रिपोर्ट तथा तहसीलदार/नायब तहसीलदार तहसीलदार करेड़ा की अनुशंघा के आधार पर राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 136 के अनुसरण में ग्राम क्षेमवास पटवार हल्का अभाठा तहसील करेड़ा व जिला भीलवाड़ा की जमाबंदी सम्वत् 2073-76 में खाता संख्या 93 में वर्तमान दर्ज प्रविष्टि को निम्नलिखित रूप से शुद्ध किया जाकर राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद के आदेश दिये जाते हैं:-

क्र. स.	ग्राम	खाता संख्या	वर्तमान प्रविष्टि (अशुद्ध)	आदेश (शुद्ध प्रविष्टि जो राजस्व रिकार्ड में दर्ज की जानी है)
1	2	3	4	5
	क्षेमवास	93	वर्तमान जम्हो में सैग्रीगैशन वकल गलत तरकीब	सिद्धदेगीनामा अनुहार जम्हो में तरकीब किमे जाने के आदेश दिया जायेगा

प्रपारी अधिकारी  
उपखण्ड अधिकारी  
करेड़ा जिला भीलवाड़ा

दिनांक:- 25/5/2022

क्रमांक/न्यायालय /2022/55(55)

प्रतिलिपि:-

1- तहसीलदार करेड़ा को भेजकर लेख है कि आदेशानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद शीघ्र किया जाकर पालना रिपोर्ट भिजवाये।

2- प्रार्थी श्री छोगा पि चैना बलदे मि० अक्षयसाम

प्रपारी अधिकारी  
उपखण्ड अधिकारी  
करेड़ा जिला भीलवाड़ा

क्षेमवास

2022/408

